उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–5

संख्या– 321–ए / वि0अनु0–5 / स्टाम्प / 2002

देहरादून: दिनांक 18 अप्रैल 2002

अधिसूचना

चूंकि उ0 प्र0 पुनर्गठन अधिनियम–2000 की धारा 87 अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन और उपान्तर कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा चूंकि उ0 प्र0 स्टाम्प नियमावली–1942, उ0 प्र0 पुनर्गठन अधिनियम–2000 की धारा–86 के अधीन उत्तरांचल में लागू है,

अत: अब उ0 प्र0 पुनर्गठन अधिनियम–2000 (अधिनियम संख्या–29 सन् 2000) की धारा–87 के अधीन शक्तियों तथा साधारण खण्ड अधिनियम–1897 (अधिनियम संख्या–10 सन 1897) की धारा–21 (यथा उत्तरांचल में लागू) के साथ पठित भारतीय स्टाम्प अधिनियम–1899 (अधिनियम संख्या–2 सन 1899) की धारा–10 की उपधारा–(1) के खण्ड (ख) और धारा–10–क, 74 तथा 75 और न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (अधिनियम संख्या–07 सन 1870) की धारा–21 की उपधारा–(1–क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल उ0 प्र0 स्टाम्प नियमावली–1942 (यथा उत्तरांचल में लागू) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली–1942

(उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश, 2002

1– संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ:–

(1) यह आदेश उ0 प्र0 स्टाम्प नियमावली (यथा उत्तरांचल में लागू) (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश 2002 कहलाएगा।

(2) यह आदेश गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगा।

2– नियम–156 का संशोधन :–

उ0 प्र0 स्टाम्प नियमावली–1942 (यथा उत्तरांचल में लागू) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 156 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 156
गैर सरकारी विक्रेताओं को स्टाम्पों की साप्ताहिक बिक्री लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेता सामान्यत: स्थानीय या शाखा डिपो से सप्ताह में एक बार स्टाम्प खरीदने के अधिकृत होगें जो मात्रा उनके साप्ताहिक निकासी की अनुमानित	गैर सरकारी विक्रेताओं को स्टाम्पों की साप्ताहिक बिक्री, लाईसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेता सामान्यत: स्थानीय या शाखा डिपो से सप्ताह में एक बार स्टाम्प खरीदने के अधिकृत होंगे, जो मात्रा उनके साप्ताहिक निकासी की अनुमानित

मात्रा के बराबर होगी, जो पिछले कुछ सप्ताहों की बिक्री के औसत पर होगी। यदि साप्ताहिक खरीद के बाद किसी बिक्रेता की बिक्री अधिक हो जाय और उसके पास स्टाम्पों का स्टाक सप्ताह के अन्दर ही समाप्त हो जाय, तो उसको सप्ताह के अन्य किसी दिन, जिस दिन कोषागार खुला हो, सप्ताह के बाकी दिनों की अनुमानित निकासी के बराबर स्टाम्प खरीदने दिया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि रूपये दो हजार से अधिक मूल्य का स्टाम्प पेपर लाईसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेता को नहीं दिया जाएगा।	मात्रा के बराबर होगी, जो पिछले कुछ सप्ताहों की बिक्री के औसत पर अधारित होगी। यदि साप्ताहिक खरीद के बाद किसी विक्रेता की बिक्री अधिक हो जाए और उसके पास स्टाम्पों का स्टाक सप्ताह के अन्दर ही समाप्त हो जाय, तो उसको सप्ताह के अन्य किसी दिन, जिस दिन कोषागार खुला हो, सप्ताह के बाकी दिनों की अनुमानित निकासी के बराबर स्टाम्प खरीदने दिया जाएगा। प्रतिबन्ध यह है कि रूपये दस हजार से अधिक मूल्य का स्टाम्प पेपर लाईसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेता को नहीं दिया जाएगा।

आज्ञा से,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव

संख्या (1) विअनु–5/ स्टाम्प/ 2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तरांचल।
2– समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तरांचल।
4– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी उत्तरांचल।
5– न्याय/ विधायी अनुभाग।
6– उपनिदेशक, राजकीय प्रैस रूड़की को इस अनुरोध के साथ कि वे अधिसूचना की 200 प्रतियाँ दिनांक के असाधारण गजट के भाग–4, खण्ड(ख) में प्रकाशित कराते हुए उसकी प्रतियाँ वित्त अनुभाग–5 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(वी0 के0 चन्दोला)
अपर सचिव।